न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.

मिसल नं. ::: 33/2018

सरकार बनाम बाला देवी पत्नी सुमेरसिंह, जाति–धाणक
निवासी– काकोड़ा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 12.04.2018

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायला बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायला बाला देवी पत्नी सुमेरसिंह, जाति–धाणक, निवासी– काकोड़ा द्वारा रोही मौजा काकोड़ा की राजकीय भूमि ख.नं. 1030/260 कुल रकबा 23.36 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.005 है0 (50 व.मी.) वर्गमीटर भूमि पर कुरड़ी डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायला को नोटिस जारी किया गया। गैर सायला बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः गैर सायला के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायला को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगेराम पूनिया)
तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० लें० स० 4 के पृष्ठ सं....04....
वर्ष 2017-18 में क्रमांक 5/.....कायम कि.

राजस्व लेखाकार

Scanned by CamScanner